

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 490]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 सितम्बर 2017—भाद्र 21, शक 1939

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2017

क्र. एफ 24-6-2017-एक 10.—राज्य शासन एतद्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, माननीय न्यायमूर्ति श्री जे. के. जैन, सेवानिवृत्त, उच्च न्यायालय के एकल सदस्यीय जांच आयोग के गठन की मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 12 जून, 2017 में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 24-6-2017-एक-10, दिनांक 12 जून, 2017 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की कंडिका-5 में, शब्द "तीन माह के भीतर" के स्थान पर, शब्द "11/12/2017 तक" स्थापित किये जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.